राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ7-(5) निकाशि/अकाद/2012/परीक्षा/79 दिनांक 13 अप्रेल, 2012

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/राजकीय महिला महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

माननीय कुलपति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि महाविद्यालय के व्याख्यातागण विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित की गई उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकन किये बगैर ही बिना किसी उचित कारण के लौटा रहे है। इस सम्बन्ध में लेख है कि राज्य कर्मचारी प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन हेतु पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा में आते है इस कारण कोई भी व्याख्याता इस कार्य को करने से मना नहीं कर सकता है। अगर किसी उचित कारणवश उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं हो पा रहा हो तो इसकी निदेशालय से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल सम्बन्धित विश्वविद्यालय को भेजे। यदि कोई भी व्याख्याता उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकन किये बगैर ही लौटाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

अतः महाविद्यालयों में कार्यरत सभी व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन हेतु प्रेषित की गई उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में पूर्ण सहयोग करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(सुबीर कुमार)
निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा

क्रमांकः एफ7-(5) निकाशि/अकाद/2012/परीक्षा/79 दिनांक 13 अप्रेल, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः –

1. समस्त कुलपति, विश्वविद्यालय, राजस्थान।
2. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, नोडल अधिकारी वेबसाईट– कृपया इस परिपत्र को निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करे।

निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा